

This question paper contains 7 printed pages.

Roll No. 545991

2138-I

B.Com. (Part-II) Examination, 2024

(Three Year Scheme of 10+2+3 Pattern)

(Faculty of Commerce)

ACCOUNTANCY OF BUSINESS STATISTICS-I

(Income Tax Law and Practice)

Paper-I



1156114

Time Allowed: Three Hours

समय: 3 घंटे

Maximum Marks: 100

अधिकतम अंक: 100

No Supplementary answer-book will be given to any candidate. Hence the candidate should write the answers precisely in the main answer-book only.

किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर-पुस्तिका नहीं दी जाएगी। अतः परीक्षार्थी को चाहिए कि वे मुख्य उत्तर-पुस्तिका में ही समस्त प्रश्नों के उत्तर लिखें।

All the parts of one question should be answered at one place in the answer-book. One complete question should not be answered at different places in the answer-book.

किसी भी प्रश्न के अन्तर्गत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, उत्तर-पुस्तिका में अलग-अलग स्थानों पर हल करने के बजाय एक ही स्थान पर हल करें।

Attempt any five questions in all selecting one question from each unit.

प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न करते हुए कुल पाँच प्रश्न हल करने हैं।

Questions have been set in English and their translation in Hindi has been appended for the convenience of the candidates.

प्रश्नों की रचना अंग्रेजी में की गयी है और उसका हिन्दी में अनुवाद परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु दिया गया है।

Write your roll number on question paper before start writing answers of questions.

प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न-पत्र पर रोल नम्बर अवश्य लिखें।

UNIT-I / इकाई-I

1. How is residential status of an assessee determined for Income-Tax purposes?

Explain the relationship between residence and tax liability.

आयकर के लिए करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?

निवास स्थान एवं कर दायित्व के आपसी सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए।

[10+10=20]

OR / अथवा

1156114 Shri Arpit was appointed as a technician in M/S S.R. Jute Mills, Kolkata on January 1, 2006 in the scale of 8,000-400-14,000-600-20,000. He was in receipt of City Compensatory Allowance @ ₹ 200 p.m., Dearness Allowance @ ₹ 1,000 p.m. (under the terms of employment) and Entertainment Allowance @ ₹ 500 p.m. He had taken an advance of 3 months salary on February 1, 2022. He was provided a rent free accommodation facility by his employer. The amount of rent was ₹ 4,000 p.m.

[20]

1156114 His services were terminated on July 1, 2022 and he was paid ₹ 1,00,000 as compensation for it. No notice was given to him for his retrenchment so he was paid ₹ 50,000 as salary of notice period. At the time of termination of service, earned leave of 9 months was at his credit for which he was paid ₹ 1,42,200 including Dearness Allowance and City Compensatory Allowance. He was also paid ₹ 1,56,000 in respect of gratuity being Basic pay and Dearness Allowance for 10 months. He gets ₹ 6000 p.m. as pension. In January, 2023 he received ₹ 4,50,000 as commuted value of pension for 3/4 of his pension. Compute Shri Arpit's taxable income from salary under old as well as new tax regime for the Assessment year 2023-24.

1156114 श्री अर्पित 1 जनवरी, 2006 को मैसर्स एस.आर. जूट मिल, कोलकता में एक तकनीकी कर्मचारी के रूप में 8,000-400-14,000-600-20,000 के वेतनमान में नियुक्त हुए। उन्हें प्रतिमाह नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 200₹, महँगाई भत्ता 1000₹ (सेवा की शर्तों के अन्तर्गत) और मनोरंजन भत्ता 500₹ मिलता था। उन्होंने 1 फरवरी, 2022 को तीन माह का वेतन अग्रिम लिया था। उन्हें नियोक्ता की ओर से किराये मुक्त मकान की सुविधा भी मिली हुई थी जिसका मासिक किराया 4000₹ था।

उनकी सेवाएं 1 जुलाई, 2022 को कर्मचारियों की छँटनी किये जाने के कारण समाप्त कर दी गई तथा उन्हें इसके लिए 1,00,000₹ की क्षतिपूर्ति की राशि दी गई। उन्हें छँटनी के कारण नौकरी से हटाने की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अतः उन्हें 50,000₹ की राशि सूचना अवधि के वेतन के रूप में चुकाई गई। सेवा समाप्ति के समय उनके खाते में 9 महीने का अर्जित अवकाश क्रेडिट था जिसके लिए उन्हें महँगाई भत्ते तथा क्षतिपूर्ति भत्ते सहित 1,42,000₹ का भुगतान किया गया। उन्हें उपदान के भुगतान के रूप में 10 माह का वेतन तथा महँगाई भत्ता सहित 1,56,000₹ प्राप्त हुए। उन्हें 6000₹ प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है। उन्हें 1 जनवरी, 2023 को अपनी पेंशन के 3/4 भाग के स्थान पर 4,50,000₹ एकमुश्त प्राप्त हुए। कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए श्री अर्पित की पुरानी एवं नई कर दर योजना में कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

UNIT-II / इकाई-II

2. Explain taxable income of Business and Profession.

[20]

व्यवसाय एवं पेशे की कर-योग्य आय को समझाइये।

OR / अथवा

Mr. Devavrat is owner of a big house whose municipal valuation, fair rent and standard rent are ₹ 96,000, ₹ 1,26,000 and ₹ 1,08,000 respectively per annum.

One-third (1/3) portion of the house is let out to a tenant at ₹ 3,200 p.m. for residential purpose and the remaining 2/3 portion is occupied by him for his own residence. The construction of this house started in June, 2015 and was completed on 31st May, 2018. Municipal taxes paid ₹ 7,200 during the year.

He had taken loan of ₹ 1,00,000 on 1st July, 2015 for construction of his house. The loan has not yet been paid back and interest @ 12% per annum is payable on it. The tenant vacated the house on 31st January, 2023 and after that it was not let out. Two months' rent of previous year 2022-23 could not be realised due to death of tenant.

Find out taxable income from house property of Mr. Devavrat under old as well as new tax regime for the Assessment year 2023-24.

मिस्टर देवव्रत एक बड़े मकान का स्वामी है, जिसका नगरपालिका मूल्यांकन, उचित किराया व मानक किराया क्रमशः 96,000₹, 1,26,000₹ तथा 1,08,000₹ वार्षिक है। इस मकान का 1/3 भाग किरायेदार को 3,200₹ प्रति माह पर किराये पर उठाया हुआ है तथा शेष 2/3 भाग का प्रयोग वे अपने निवास के लिए करते हैं। इस मकान का निर्माण जून, 2015 में प्रारम्भ हुआ था तथा वह 31मई, 2018 को पूरा हुआ था। वर्ष के दौरान नगरपालिका कर 7,200₹ चुकाया।

उसने 1 जुलाई, 2015 को 1,00,000₹ का ऋण मकान के निर्माण के लिए लिया था। ऋण अभी तक चुकाया नहीं गया है तथा इस पर 12% वार्षिक दर से ब्याज देय है। किरायेदार ने 31 जनवरी, 2023 को मकान खाली कर दिया, इसके बाद इसे किराये पर नहीं दिया गया। गत वर्ष 2022-23 में दो माह का किराया वसूल नहीं हो सका क्योंकि किरायेदार की मृत्यु हो गई।

मिस्टर देवव्रत की कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी एवं नई कर दर योजना में मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

UNIT-III / इकाई-III

3. On 1st August 1976 Miss Khushi purchased 400 shares of Mohan Ltd. @ ₹ 100 per share. On 31st December, 1980 the Mohan Ltd. issued bonus shares. Miss Khushi was allotted 600 bonus shares. The fair market value of the shares on 1st April, 2001 was ₹ 450 per share. On 3rd September, 2022 Miss Khushi sold all the 1,000 share @ ₹ 1,800 per share and paid brokerage etc. @ 2% on sale consideration. Out of the sale consideration she invested ₹ 7,84,000 in the construction of a residential house which was completed before 30th June, 2023.

Compute the taxable amount of capital gain of Miss Khushi for the Assessment year 2023-24 assuming that she does not own any other residential house and shares are sold in the recognised stock exchange. The fair market value of shares as on 31-1-2018 was ₹ 1,200 per share.

[20]

1 अगस्त, 1976 को मिस खुशी ने मोहन लिमिटेड के 400 अंश 100₹ प्रति अंश की दर से क्रय किये। 31 दिसम्बर, 1980 को मोहन लिमिटेड ने बोनस अंश निर्गमित किये। मिस खुशी को 600 बोनस अंश आवंटित किये गये। 1 अप्रैल, 2001 को इन अंशों का उचित बाजार मूल्य 450₹ प्रति अंश था। 3 सितम्बर, 2022 को मिस खुशी ने सभी 1,000 अंश, 1,800₹ प्रति अंश की दर से बेच दिये तथा दलाली वगैरह विक्रय-मूल्य के 2% के बराबर दी गई। प्राप्त प्रतिफल में से उसने 7,84,000₹ एक आवासीय मकान के निर्माण पर व्यय किये जो 30 जून, 2023 के पूर्व बनकर तैयार हो गया था।

यह मानिये कि मिस खुशी के पास अन्य कोई रहने का मकान नहीं है और अंशों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में बेचा गया है। 31-1-2018 को अंशों का उचित बाजार मूल्य 1200₹ प्रति अंश था। कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिये उसकी कर-योग्य पूँजी लाभों की राशि ज्ञात कीजिए।

OR / अथवा

Explain clearly the provisions of Income Tax Act regarding the following -

- (i) Income from Dividend
- (ii) Deemed Income from Gift

[10+10=20]

निम्नलिखित के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से लिखिए -

- (i) लाभांश से आय
- (ii) उपहार से मानी गयी आय

UNIT-IV / इकाई-IV

4. From the following information, compute the tax payable by Miss Kalpana for the Assessment year 2023-24 under both the regimes of taxation -

[20]

	₹
(i) Income from salary (computed)	1,20,000
(ii) Short-term capital gain from sale of equity shares (before deducting STT)	3,60,000
(iii) Securities transaction tax paid	5000
(iv) Interest from saving bank account	8000
(v) Donation for promotion of family planning	20,000

निम्न सूचनाओं से दोनों कर योजनाओं में मिस कल्पना के कर दायित्व की गणना कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिये कीजिए -

	₹
(i) वेतन से आय (आकलित)	1,20,000
(ii) समता अंशों के विक्रय से अल्पकालीन पूँजी लाभ (प्रतिभूति व्यवहार कर घटाने से पूर्व)	3,60,000
(iii) प्रतिभूति व्यवहार कर चुकाया	5000
(iv) बैंक बचत खाते से ब्याज	8000
(v) परिवार नियोजन प्रोत्साहन के लिये दान	20,000

OR/अथवा

Discuss the provisions of Income Tax Act regarding the set-off and carry forward of losses.

[20]

हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का विवेचन कीजिए।

UNIT-V / इकाई-V

5. The Karta of a HUF furnished the following particulars of the income of the HUF for the assessment year 2023-24.

[20]

	₹
(i) Interest received on debentures	45,000
(ii) Interest received on fixed deposits in bank invested in the name of member who is senior citizen	2,25,000
(iii) Rent of house property	1,00,000
(iv) Profits from handling, storage and transportation business of food grain established and commenced during P.Y. 2016-17	10,00,000
(v) Long-term capital gain (from land)	30,000
(vi) Short-term capital gain from listed equity shares on which ₹ 4000 is paid as Security Transaction Tax	8,90,000
(vii) Agricultural income	20,000
(viii) Long-term capital gain on shares acquired before 1-2-2018 and transferred through recognised stock exchange, calculated according to provisions of section 112 A	3,10,000

Income from business is calculated after deducting salary of ₹ 5000 paid to Karta of HUF. The HUF paid ₹ 12,000 by way of insurance premium of their members and donated ₹ 10,000 to a recognised charitable institution. Compute taxable income of HUF and tax payable by it by assuming that HUF allowed tax credit of ₹ 20,530 in the assessment year 2021-22 and HUF adopted old tax regime.

एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता ने कर-निर्धारण 2023-24 के लिए परिवार की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है -

	₹
(i) ऋणों पर प्राप्त ब्याज	45,000
(ii) परिवार के सदस्य, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, के नाम से किये निवेश से बैंक में स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज	2,25,000
(iii) मकान सम्पत्ति का किराया	1,00,000
(iv) गत-वर्ष 2016-17 में स्थापित एवं संचालित अन्न के संचालन, संग्रहण एवं यातायात व्यवसाय से लाभ	10,00,000
(v) दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ (भूमि से)	30,000
(vi) सूचियत समता अंशों के विक्रय से अल्पकालीन पूँजी लाभ जिस पर 4,000₹ प्रतिभूति व्यवहार कर के चुकाए	8,90,000
(vii) कृषि आय	20,000
(viii) 1-2-2018 से पूर्व क्रय किये गये अंशों पर धारा 112 A के प्रावधानों के अनुसार गणना किये गये दीर्घकालीन पूँजी लाभ और लेन-देन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हुआ है।	3,10,000

व्यवसाय की आय, कर्ता को 5000₹ वेतन की कटौती देने के बाद ज्ञात की गई है। परिवार के सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर 12,000₹ प्रीमियम के तथा अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था को 10,000₹ दान में दिये गये। हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल कर योग्य आय एवं देय कर की गणना यह मानते हुए कीजिए कि हिन्दू अविभाजित परिवार को कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 में 20,530₹ की कर जमा प्राप्त भी हुई एवं हिन्दू अविभाजित परिवार पुरानी कर दरों के विकल्प का चयन करता है।

OR / अथवा

What is Advance Payment of Tax? State the provisions of Income Tax Act in this context.

अग्रिम कर का भुगतान क्या है? इससे सम्बन्धित आयकर अधिनियम के प्रावधानों को बताइए।

[5+15=20]